

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 3509 FP/UK/ROAD/10131/2015. देहरादून:दिनांक: 25 मई, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-एफ0आर0आई0, देहरादून।


विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी-काण्डाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/10131/2015.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक 2178/12-1 दिनांक 19-12-2015 द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

1. वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
4. एन0पी0वी0 का आगणन सही किया गया है तथा पार्ट II में सुधार किया गया है। (संलग्न)
5. प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत एवं लाभ का विश्लेषण दिया गया है। (संलग्न)

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,


✓ (एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी



पत्रांक- 2178 / 12-1

दिनांक 09 दिसम्बर

2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- E.D.S. रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में वांछित E.D.S. रिपोर्ट, उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2001/12-1, दिनांक 02.12.2015 (संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः बिन्दुवार वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
4. एन.पी.वी. का आगणन सही किया गया है। तथा पार्ट II में सुधार किया गया है। (संलग्न)
5. प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत एवं लाभ का विश्लेषण दिया गया है। (संलग्न)

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forests, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfo.kedarnath.cml@gmail.com

पत्रांक:- 200 | / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 02 दिसम्बर 2015

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।


विषय:- पोखरी काण्डई मोटर मार्ग के सम्बन्ध में
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि E.D.S प्रपत्र के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्नवत है:-

- 1- प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।(संलग्न)
- 2- प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न की गई है।(संलग्न)
- 3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
- 4- एन0पी0वी0 को आगणन सही किया गया है, तथा पार्ट II में सुधार किया गया है।(संलग्न)
- 5- प्रस्तावक विभाग द्वारा दर विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है। (संलग्न)

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीया,


उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

1. क्रि.सं. 1

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No.

Dated 13/02/2015


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(P) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.8 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand for construction of Pokhari-Kandai Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Gugli, Sarnachain, Dhamak, Kaafalpaani, Bhatav, Trishula villages in Pokhari Tehsil.


It is further certified that:


- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.8 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


Encl: As above.



 तहसीलदार
 तहसील पोखरी
 जिला चमोली

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


 जिला वनाधिकारी
 अरुण क्षेत्रीय वन संरक्षण वन विभाग
 भागेश्वर


 जिला वनाधिकारी
 पोखरी


 जिला वनाधिकारी
 अरुण क्षेत्रीय वन संरक्षण वन विभाग
 भागेश्वर


 जिलाधिकारी
 चमोली

वि.सं. (4)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS) District Megistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 30.2/2015 at Chamoli in which the application claiming rights in villages Nail, Nauli of Tehsil Pokhari, Chamoli, area measuring 9.8 hectare Forest land for the construction of Pokhari-Kandai Motor Road Under PMGSY of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari Tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 13/02/2015

District Megistrate-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के अन्तर्गत (4.20 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.15 हे० वन पचायत भूमि अर्थात् कुल 7.35 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी)की दिनांक 17/01/2019को सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/श्रीमती बी.एस. नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री / श्रीमती <u>बी.एस. नेगी</u>	उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष	
2	श्री / श्रीमती <u>धीरज सिंह नेगी</u>	वन क्षेत्राधिकारी-सदस्य	
3	श्री / श्रीमती <u>J.S. Rana</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी/ए.बी. डी.ओ. -सदस्य	
4	श्री / श्रीमती <u>प्रदीप लोखंडा</u>	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	
5	श्री / श्रीमती <u>प्रभा देवी</u>	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	
6	श्री / श्रीमती <u>सरोजनी देवी</u>	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.35 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। वन भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। उपखण्ड स्तरीय प्रमाणिक वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.35 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पोखरी
ज.प.च. चमोली

उप जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पोखरी
ज.प.च. चमोली


चिन्टु (नं 3)
2.10


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ~~देवस्थान~~ ^{दिदि} स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


उप-विभागीय अधिकारी
पोखरी


उप-विभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी वन प्रभ
मा 17/10/10


उप-विभागीय अधिकारी
सागनाथ रेंज


उप-विभागीय वन अधिकारी
सागनाथ रेंज वन प्रभ
मा 17/10/10

वि-५ पी १
२३६

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

एन०पी०पी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०पी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-विकास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व -- 02.6
3. एन०पी०पी० की दर प्रति हे० - Rs. 845000 - 939000
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल -- 7.35 हे०
5. कुल देय एन०पी०पी० की धनराशि -- Rs. ~~6210750.00~~ 6901650=00

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
नोपेखर

वन क्षेत्र अधिकारी
पोखरी वनक्षेत्र

प्रशासकीय अधिकारी
प्रशासकीय वन प्रभाग
नोपेखर

श्री. भागीरथ प्रसाधिकांगी
वन संरक्षण एवं पर्यावरण प्रभाग
नोपेखर


३५१

वि.सं. 3

द्वितीयक वृत्तारोपण एवं पंचाधान सिंचन प्रयोजनी

ले.सं. 10/10/35
वा.सं. 1000

श्री 0 1000 से 2000 मी



विधान गांव विधान

ज.सं. 10/10/35
माला...

ज.सं. 10/10/35
विधान गांव विधान

तकनीकदार
जिला बंगाली

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान - ~~जनपद-चमोली में~~ ~~एच.म.क. जंगल संरक्षण के अन्तर्गत~~ ~~कोशी-काठडई~~
 (1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~ ~~भेदर मार्ग निर्माण~~ ~~उत्तराखण्ड~~
 चमोली

(2) जिला - ~~चमोली~~
 (3) वन प्रभाग - ~~केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गौपेश्वर (चमोली)~~

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०) 14.70 हे०

(5) वन की कानूनी स्थिति - ~~उत्तर~~

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिवाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) (1) मूकरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
 (2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पौरम्यिक स्थल/स्वा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सहित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जावे गये विकार्यों के धीरों के साथ नदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी नू-खण्डों की संख्या प्रत्येक नू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता

2.62
 प्रस्ताव संलग्न

प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षरक्ष की सम्भावना नहीं है, नू वैज्ञानिक की आख्या संलग्न

नहीं

नहीं

नहीं

वनपंचायत व सिविल वन भूमि न्यूनतम अभी मार्ग प्रस्तावित है, स्वीकृत के पश्चात निर्माण करवाया जायेगा

नहीं

संलग्न

संलग्न

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय - संलग्न

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रयत्नकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) - प्रस्ताव के साथ प्राकल्पन संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत उपयुक्तता कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। संलग्न

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-


- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - 8030 वर्ग कि० मी०
 (2) जिले का वन क्षेत्र - 50611002 वर्ग कि० मी०
 (3) नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र - 15 प्रामाण्य 843.00 हे०
 (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
 (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - रिक्त
 (ख) वनेत्तर भूमि पर - रिक्त
 (5) 2013 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
 (क) वन भूमि पर - रिक्त
 (ख) वनेत्तर भूमि पर 843.00 हे०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्यन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संक्षुति की जाती है।

तिथि - 26.03.2015

स्थान - गोपेश्वर


 उप वन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 (नाम गोपेश्वर)
 सरकारी मोहर

1938-5

12

(5.00 से अधिक के प्रयत्नों में लागू)
Cost Benefit Ratio calculation Performance

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

Block:- Pokhari

District:- Chamoli

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs
	Total cost (Investment incurred)	747.58 Lakh
(A)	Construction cost of the project	695.95 Lakh
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /ha	Rs. 8.45 Lakh/ha So for 7.35 ha = Rs.62.10 Lakh
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	56.55 Lakh
(E)	Other cost if any	-
	Grand Total	Rs. 814.60 Lakh
2	Benefits :- Benefits from Road considering age of road as 50 years	
2.1	Direct Economic Benefits Economic benefits market development - 10 shops are established due to construction of road. Considering minimum benefits from each shop as 380 Rs /day. Benefits :- Per Month = $10 \times 380 \times 30 = \text{Rs. } 114000$ Per year = $12 \times 114000 = \text{Rs. } 1368000$ 50 year = $50 \times 1368000 = \text{Rs. } 68400000$	684.00 Lakh
	Total direct benefits	684.00 Lakh
2.2	Social Benefits Direct Employment of Labours Taking 8 people Each people Per Month @ Rs. 7500.00 Benefit for 1 year = $7500 \times 8 \times 12 = \text{Rs. } 720000$ benefit for 50 year = $50 \times 720000 = \text{Rs. } 36000000$	360.00 Lakh
	Total social benefits	360.00 Lakh
2.3	Ecological Benefits Tourism - Employment Benefits for 50 year = $1.5 \times 8 \times 50 = \text{Rs. } 600 \text{ Lakh}$	600 Lakh
	Total ecological benefits	600 Lakh
	Total Benefits	1644.00 Lakh

1002

अधिसूची आयोग
निम्न क्र. 30/10/10 वि.
सूचना प्रकाशित

क्षेत्र अधिकारी
विभाग, चमोली

प्रमाणित - वसुधैव कुटुम्बकम्
प्रभागीय, चमोली
12/12/10


वि. 105


14


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-कामडई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-


Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests


Sl no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	First Aid medical Kit 100 pec @ Rs. 1300 = 130000.00
2	Benefits to economy	About 1.5 Lakh per year due to milk production, potato, apple and other vegetables and other fruits.
3	No. of population benefited.	893
4	Employment potential.	This project will employ 30 permanent and 940 temporary labourers.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Non forest land 2.45 hectares Cost = Rs. 2205000.00
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	Nil
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	Nil
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	Kerosene oil/gas connection service available in the area, dry fuel wood will be sufficient from nearby area.
9	Medical Parameter	In case of any accidents or any medical emergency the population of the village will get medical facility in minimum duration.
10	Education Parameter-	The childrens who should got for agricultural activities instead of going schools will get reduced and may got to the nearby colleges and universities for acquiring higher education.



 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण कार्य को निरदि
 पोखरी (चमोली)
 प्रयोक्ता-रजनीश


 जून क्षेत्र अधिकारी
 पोखरी


 प्रभोगीय वनाधिकारी
 जून क्षेत्र


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण कार्य को निरदि
 पोखरी


 प्रभोगीय वनाधिकारी
 जून क्षेत्र


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण कार्य को निरदि
 पोखरी

1.11 दि. 5

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	Nil
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	Nil
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	Nil
5	Environmental losses:(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	Nil
6	Suffering to oustees	Nil

J-E

अधिशोको अभियन्ता
निर्माण कार्य हेतु नि. वि.
पोखरी निर्माण
प्रयोगशा (एजन्सी)

अधिशोको अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

अभियन्ता

वनसूत्राधिकारी
नागनाथ रंज

प्रभागीय वनाधिकारी
अभियन्ता: पूर्ण वन विभाग
भा.प्र.वा.